शिवपुरी में जल अकाल घोषित

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। गहराते जल संकट के बीच कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए पूरे शिवपुरी जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर के इस सख्त फैसले के साथ ही निजी नलकूपों के खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जिससे जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके।

दरअसल, लोक स्वास्थ्य

नलकूप खनन पर सख्त रोक, अब पानी की बर्बादी पर होगी कार्रवाई

यांत्रिकीय विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए लगातार हो रहे जल दोहन के कारण पेयजल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। इसका सीधा असर नल-जल योजनाओं पर पड़ रहा है और आने वाले समय में गंभीर पेयजल संकट की आशंका जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कलेक्टर चौधरी ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। कलेक्टर के निर्देशानुसार अब बिना अनुमति किसी भी जल स्रोत से घरेलू उपयोग के अलावा अन्य कार्यों जैसे सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी लेने पर रोक रहेगी।

यह निर्णय जल संसाधनों के संतुलन और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, शासकीय कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक नलकूप खनन की छूट दी गई है। वहीं, जरूरत पड़ने पर नए नलकूप की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) स्तर से, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की अनुशंसा पर दी जाएगी। कलेक्टर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार उल्लंघन पर 5000 रूपए तक जुर्माना और दोबारा गलती पर 10,000 रूपए तक जुर्माना या अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मजबूत करने जिला स्तरीय समिति गठित

जिले में पेयजल संकट से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। कलेक्टर के नेतृत्व में हैंडपंप और नल-जल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में नए नलकूप खनन, हैंडपंप स्थापना और पेयजल योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। साथ ही, जिन गांवों में नल-जल योजना के स्रोत असफल हो चुके हैं, वहां नए और सफल जल स्रोत विकसित कराने की अनुशंसा भी करेगी। समिति में कलेक्टर को अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ को उपाध्यक्ष और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कृषि विभाग और मध्यप्रदेश जल निगम के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

खनिज विभाग ने ओवरलोड एम-सैंड परिवहन करता डम्पर किया जब्त

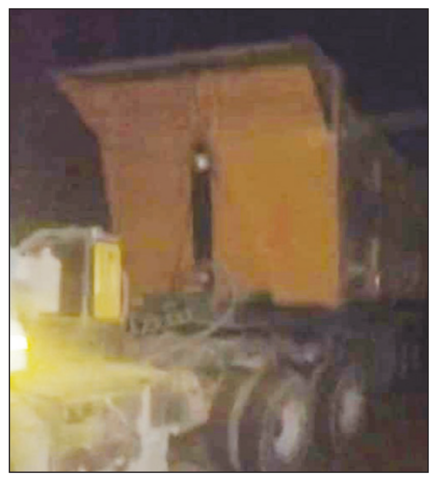

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ओवरलोड डम्पर को जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश और खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2026 की रात प्रभारी खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास अपनी टीम के साथ अमोला क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान एक हाईवा/डम्पर को संदिग्ध हालत में रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में एम-सैंड खनिज का अवैध और ओवरलोड परिवहन किया जा रहा था। खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को मौके पर ही जब्त कर पुलिस थाना सुरवाया की अभिरक्षा में सौंप दिया।

साथ ही संबंधित वाहन चालक के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। पूरे मामले को अब अर्थदंड निर्धारण के लिए कलेक्टर न्यायालय शिवपुरी भेजा जा रहा है, जहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने वृहद स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। जिला प्रशासन श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन एवं रोटरी

व्यवस्थाओं का लिया जायजा

इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 के संयुक्त तत्वावधान में 17 मार्च से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 8 दिवसीय रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन अंतर्गत वृहद स्वास्थ्य शिविर के प्रथम दिवस कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा शिविर स्थल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा चिकित्सकों एवं मरीजों की समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर स्थल के प्रत्येक कक्ष में पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा व्यवस्थाएं सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित हों, जिससे अधिक से अधिक लोगों को शिविर का लाभ मिल सके।

2 घंटे में अपहरण कांड का पर्दाफाश, हथियार के नोंक पर युवक को उठाया

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। करैरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुए सनसनीखेज अपहरण कांड का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है,

5 आरोपी गिरफ्तार, 6 फरार

जबकि 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार, 16 मार्च 2026 को ग्राम बेरखेड़ा निवासी फरियादी बृजेश जाटव उम्र 22 वर्ष को उसका परिचित जीतू कोली अपने साथ समोहा डैम ले गया। यहां पहले से मौजूद अंशुल अहिरवार और दीपक उर्फ जसवंत अहिरवार सहित अन्य साथियों ने साजिश के तहत जीतू कोली का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने स्प्लेंडर बाइक क्रमांक एमपी 32 जेडबी 1787 और

सफेद अर्टिगा कार से पहुंचकर जीतू कोली को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान एक आरोपी ने देशी कट्टे से हवाई फायर कर दहशत फैलाई और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही करैरा पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले, एसडीओपी करैरा आयुष जाखड़ एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में करैरा टीआई विनोद छावई के नेतृत्व में टीम गठित कर ताबड़तोड़ दबिश दी गई। पुलिस ने अपहृत जीतू कोली को सुरक्षित बरामद करते हुए 5 आरोपियों जसवंत उर्फ दीपक पुत्र घनाराम अहिरवार उम्र 37 वर्ष निवासी परासरी थाना उनाव जिला दतिया, इंदर सिंह उर्फ इंदल पुत्र ठाकुरदास अहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी इकारा थाना उनाव दतिया, विष्णु पुत्र संजीव अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी इकारा थाना उनाव दतिया, अंशुल पुत्र किशोरी अहिरवार उम्र 18 वर्ष निवासी स्टेशन होमगार्ड कॉलोनी कोतवाली दतिया एवं रतन पुत्र बनबारी अहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी इकारा थाना उनाव जिला दतिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक, 315 बोर का देशी कट्टा, एक खाली खोखा और दो जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। टीआई विनोद छावई के अनुसार प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश के चलते अपहरण की साजिश रची गई थी। फिलहाल फरार 6 अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद छावई, उपनिरीक्षक चरण सिंह, प्रधान आरक्षक डैनी कुमार, आरक्षक हरेन्द्र गुर्जर, राधे जादौन, सुरेन्द्र रावत, मत्स्येन्द्र गुर्जर, रामअवतार गुर्जर, शिवम यादव, संदीप चौहान, भूपेन्द्र यादव एवं सायबर सेल के आरक्षक आलोक की सराहनीय भूमिका रही।

सूने मकान पर चोरों का धावा : एलपीजी सिलेंडर समेत जेवर-नकदी पार

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। शहर की कृष्णपुरम कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। गैस सिलेंडर

सीसीटीवी में कैद बेखौफ वारदात

की किल्लत के बीच हुई इस वारदात में चोर एलपीजी सिलेंडर तक उठा ले गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक आरोपी बेखौफ अंदाज में सिलेंडर कंधे पर रखकर ले जाता दिखाई दे रहा है।

जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 10 निवासी नीतू राजावत अपने घर में ताला लगाकर मायके गई थीं। अगले दिन जब वे लौटीं तो घर का ताला टूटा मिला और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर से एलपीजी सिलेंडर के साथ सोने-चांदी के जेवरात, नगदी और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए।

घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें चोर बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। फुटेज में आरोपी का हावभाव साफ दिखाता है कि उसे पकड़े जाने का कोई भय नहीं था। शहर में पहले से चल रही गैस सिलेंडर की कमी के बीच इस तरह की चोरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अब आमजन के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब घरों से सिलेंडर तक सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सिंधिया ने दिव्यांग को प्रदान की ट्रायसाइकिल

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। जिले के ग्राम करई गंगौरा निवासी दिव्यांग गुर्जर बंजारा ने गतदिवस आयोजित रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन अंतर्गत वृहद स्वास्थ्य शिविर में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष शिविर में कराए गए पंजीयन को प्रस्तुत कर कहा कि वह अस्थिबाधित दिव्यांग हैं। ट्राइसाईकिल नहीं होने से चलने एवं अन्य कार्य करने में परेशान का सामना करना पडता हैं। केन्द्रीय मंत्री ने उनकी पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक न्याय विभाग को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। प्राप्त निर्देशों पर विभाग ने उसी शिविर में दिव्यांग गुर्जर बंजारा को बैटरी संचालित ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई। ट्रायसाइकिल मिलने पर गुर्जर बंजारा ने खुशी व्यक्त करते हुए शासन एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

पोहरी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार समापन

नवभारत न्यूज
पोहरी, 17 मार्च। नगर में आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक समापन हुआ, जिसमें पुलिस लाइन पोहरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में पुलिस लाइन ने वार्ड क्रमांक 10 की टीम को 32 रनों से हराकर जीत दर्ज की।

फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पुलिस लाइन पोहरी ने निर्धारित 12 ओवरों में 145 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी वार्ड क्रमांक 10 की टीम निर्धारित ओवरों में 113 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।

विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता टीम को 11,000 रुपए एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रवि धाकड़ को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया, वहीं पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाने वाले मानवेंद्र सिंह राघव को 'मैन ऑफ द सीरीज' के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर निरीक्षक नरेंद्र सिंह कुशवाह के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन समिति के सदस्य रवि दुबे, दीपू भार्गव, संदीप भार्गव, मानवेंद्र सिंह, भोलू राजपूत, अनिकेत जादौन, बिट्टू भाई, डिल्लन शर्मा, रणवीर यादव, गौतम एवं रोहन आदेश श्रीवास्तव ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नेपाल शाक्य सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

दो थानों में एफआईआर, दुष्प्रेरण से लेकर अपहरण तक के गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 17 मार्च। नेपाल शाक्य आत्महत्या मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में दो अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को घेरे में लिया है। मामला सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें प्रताड़ना, मारपीट और जबरन उठाकर ले जाने जैसे संगीन आरोप भी जुड़ गए हैं।

कोतवाली थाना क्षेत्र की मुदगल कॉलोनी में नेपाल शाक्य ने किराए के मकान में फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने जयदीप माहेश्वरी, राजू माहेश्वरी, शिवम और मधुरम माहेश्वरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल शाक्य अपने मालिक के गोदाम पर काम करता था और 2 से 2.5 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना से एक दिन पहले ही आरोपियों द्वारा रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराए जाने से दबाव और बढ़ गया, जिसके बाद नेपाल ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। इसी मामले से जुड़ा दूसरा केस पोहरी थाने में दर्ज हुआ है। मृतक के भाई सोनेराम शाक्य ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज और मारपीट की, फिर उन्हें और उनके भाई को जबरन वाहन में बैठाकर ले गए। आरोप है कि आरोपियों के पास हथियार भी था और बाद में उन्हें रास्ते में छोड़ दिया गया।

पोहरी पुलिस ने मारपीट, धमकी और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोहरी एफआईआर से साफ है कि मामला गहराता जा रहा है और पुलिस अब हर पहलू से जांच में जुट गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी, 17 मार्च। बदरवास थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 जनवरी 2026 को जब परिजन की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 08/26 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान 15 मार्च को पुलिस ने अपहृत बालिका को महाराष्ट्र के नागापुर अहिल्यानगर से सकुशल बरामद किया। इसके बाद 16 मार्च को पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर मामले में दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं का इजाफा किया गया। साथ ही पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी प्रकरण को मजबूत किया गया। पीड़िता की काउंसलिंग बाल कल्याण समिति, शिवपुरी के समक्ष कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। बदरवास थाना प्रभारी रोहित दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेमंत पुत्र तोरण लोधी उम्र 26 वर्ष निवासी पनिहारी चौकी, हिमंतपुर थाना पिछोर को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

नागपुर से बरामद हुई पीड़िता

भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए आवेदन जारी

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 17 मार्च। सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना को जारी की गई है। यह अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से प्रारंभ हो गई है, जो 01 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार अग्निवीर पुरुष (जनरल ड्यूटी, तकनीकी, लिपिकध्स्टोरकीपर, ट्रेडमैन दसवीं पास, ट्रेडमैन आठवीं पास), अग्निवीर महिला (सेना पुलिस) तथा स्थायी कैडर के अंतर्गत नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेट एवं सिपाही फार्मा के पदों पर भर्ती की जाएगी।

जून में होगी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा : भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 01 जून से 10 जून 2026 के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश एवं पात्रता शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यता : अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सेना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। अग्निवीर भर्ती 2026 में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अग्निवीर वैकेंसी 2026 के अंतर्गत भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा 2026 की विस्तृत पात्रता आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार का 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, न्यूनतम 45 प्रतिशत कुल अंक तथा प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक लिंग पुरुष एवं महिला (पद के अनुसार) इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट के तहत चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में आकर्षक वेतन पैकेज और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

अग्निवीर भर्ती 2026 के अंतर्गत शुरुआती वेतन लगभग 30,000 प्रति माह होगा, जिसमें समय-समय पर वार्षिक वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को जोखिम भत्ता, कठिनाई भत्ता सहित अन्य लागू भत्ते भी मिलेंगे। चार वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर एक अग्निवीर को कुल वेतन पैकेज लगभग 6.92 लाख प्राप्त होगा। साथ ही सेवा समाप्ति पर अग्नि वीर वैकेंसी 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को ब्याज सहित लगभग 11.71 लाख की सेवा निधि राशि दी जाएगी।